FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

ब्रजमोहन वगै0 **बनाम पिंजरापोल गौशाला वगै0**

किस्म मुकदमा—प्रा.पत्र बाजदायरी नम्बर 124 सन्– 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजो इस हुक्म की तामीलमेंजारीहुए
03.03.2025	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।अधिवक्तागण की प्रा.पत्र बाजदायरी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी की अपील दिनांक 21.10.2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई। उक्त उनवानी अपील में अपीलांट की ओर से रामजीलाल अपीलांट तारीख पेशी पर आते थे पर उक्त तारीख पेशी के दिन अचानक अपीलांट रामजीलाल जो कि हार्ट पेशेन्ट है उसकी अचानक तबियत खराब हो गई जो जयपुर दिखाने चला गया व जल्दबाजी में व बीमारी के कारण अपने अधिवक्ता को सूचना नहीं दे सका एवं अपीलांट के अधिवक्ता दीगर न्यायालय में बहस में व्यस्त होने के कारण आवाज के समय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके व अनुपस्थिति दर्ज कर अपील अदम हाजरी में खारिज कर दी गई। अपीलांट के अधिवक्ता यहॉ बहस समाप्त कर जब श्रीमानजी के न्यायालय में पहुँचे तो श्रीमान पधार चुके थे व अपील अदम हाजरी में खारिज की जा चुकी थी। उस दिन अपीलांट उपस्थित नहीं थे जिससे उस समय वाज दायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। अपीलांट के आने पर यह वाज दायरी प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता ने जान बूझकर उपस्थिति से गुरेज नहीं किया है बल्कि उक्त मजबूरीवश उपस्थित नहीं हो सके जिससे न्याय हित में उक्त अपील को पुनः नंबर पर मैरिट पर सुनवाई किया जाना आवश्यक है। चूंकि उक्त प्रकरण माननीय संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर से रिमांड होकर आया है जिस पर न्याय हित में अपीलांट को मैरिट पर सुनकर निर्णय किया जाना आवश्यक है अन्यथा अपीलांट न्याय से वंचित हो जायेंगे। अतः प्रार्थना पत्र बाज दायरी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अपील को पुनः नंबर पर ली जाकर अपील को मैरिट पर सुनवाई कर निर्णय पारित फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र बाज दायरी प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस की निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत किया गया है। बाज दायरी प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर स्वीकार फरमाया जावे। हमने अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्याय हित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल अपील प्रकरण को 500/— की कोस्ट पर नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त [illegible] प्राधिकरण में जमा कराने हेतु तहरीर जारी हो। मूल अपील पुनः [illegible] पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रा.पत्र बाजदायरी फैसल शुमार [illegible] कर मूल अपील के [illegible] रहे। Signature Not Verified Digitally signed by Devendra Kumar Date: 2025.10.01 11:01:12 IST Reason: SelfAttested जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official